

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 49/2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

1. ताराचन्द पिता घीसा चमार निवासी राजपुरा कॉलोनी तहसील फूलियाकलां
2. मु0 राधा पत्नि ताराचन्द चमार निवासी राजपुरा कॉलोनी तहसील फूलियाकलां

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनाथ पिता हजारी जाट निवासी शिवपुरा तहसील फूलियाकलां
2. जगनाथ पिता कल्याण बैरवा निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां
3. सुखदेव पिता कल्याण निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां
4. रायमल पिता प्रताप बैरवा निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां
5. घीसा पिता लक्ष्मण कुम्हार निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां
6. घासी पिता कल्याण बैरवा निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां
7. छगना पिता कल्याण बैरवा निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां
8. उंकार पिता कल्याण बैरवा निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां
9. सूरतराम पिता कल्याण बैरवा निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 07.06.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थीगण के ग्राम हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1815/1954 रकबा 0.52 है0, किता 01 कुल रकबा 0.52 है0 का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी कराई जावे।

जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ~~हुकमपुरा~~ संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा हुकमपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 01 रकबा 0.52 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रुपये (अक्षरे दो सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकला मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(एम0पी0 नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा